न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
अपील संख्या - 20/2019
दायरा दिनांक - 18.12.2019
निर्णय दिनांक - 29-1-21

उनवान

1. सेडूराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी भाँखरवाला तन रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज.

-- अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत रामपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रामपुर पंचायत समिति बानसूर जिला अलवर राज0
2. धुन्धा देवी पुत्री मामराज पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी भांखरवाला तन रामपुर हाल ससूराल निवासी मोहम्मदपुर तह0मुण्डावर जिला अलवर राज0
3. ब्रहमा देवी पुत्री मामराज पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी भांखरवाला तन रामपुर हाल ससूराल निवासी रायपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0

-- रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 93 वाके मौजा कल्याणपुरा तन रामपुर तहसील बानसूर दिनांक 06.05.2013

उपस्थित अधिवक्तागणः-
1. अपीलान्ट - श्री जगमाल खोंवाल एड0
2. रेस्पोडेण्ट -श्री अनिल कुमार यादव (तृतीय) एड0

-:निर्णयः-

आज यह अपील हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। अपील के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आ0ख0न0 384 रकबा 0.43 है0 वाके मौजा कल्याणपुरा तह0 बानसूर अपीलान्ट की बुजुर्गानी की आराजी है। अपीलान्ट की माता छोटी देवी पत्नी मामराज का विरासत का नामान्तकरण सं0 93 दिनांक 06.05.2013 वाके कल्याणपुरा तहसील बानसूर का फैसला ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा अपीलान्ट की पीठ के पीछे से किया गया। रेस्पो0 सं0 01 ने अपीलान्ट को नुकसान पहुँचाने की नियत से मृतका छोटी देवी की मृत्यु दिनांक 04.05.2002 गलत दर्शित करते हुये विधिक वारीसान [illegible] अपीलान्ट [illegible] छोडकर गलत फैसला पारित किया है। अपीलान्ट व रेस्पो0 सं0 02 एवं 03 [illegible] मुश्तरका परिवार के सदस्य है जो छोटी देवी पत्नी मामराज के [illegible] वारीसान है। राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी रामपुर ने अपीलान्ट की पैतृक आराजी का विरासत इंतका[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.06 16:11:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर 'अलवर'

Scanned with CamScanner

सं0 93 दिनांक 06.05.2013 वाके मौजा कल्याणपुरा की फर्द भरते समय छोटी बेवा मामराज के काबिज जायज वारीसान की बिना जाँच किये एवं छोटी देवी की मृत्यू की दिनांक 04.05.2002 दर्ज करते हुये मातहत अदालत ग्राम पंचायत रामपुर ने रेस्पो0 सं0 02 व 03 से साजबाग होकर अपीलान्ट को नुकसान पहुँचाने की नियत से उक्त नामान्तकरण का फैसला अपीलान्ट की बिना सहमति के रेस्पो0 सं0 02 व 03 के पक्ष में खिलाफ कानून खिलाफ कब्जा मौका खिलाफ पारिवारिक सजरा विधि विरुद्ध तरीके से निर्णित कर दिया। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर मुताबिक अनुतोष नामान्तकरण फैसल किया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका की जाकर रेस्पो0 को जये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 01 सरपंच ग्राम पंचायत रामपुर बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनकी अनु0 दर्ज की गई। रेस्पो0 सं0 02 व 03 ने राजीनामा पेश कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र जेर दफा–5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। अपीलान्ट राजपूताना राईफल्स में सेवारत था जो दिनांक 31.10.2010 को सेवानिवृत होकर अपनी खेती–बाडी का कार्य करता था। रेस्पो0 सं0 01 ने मृतक छोटी देवी की मृत्यू दिनांक 04.05.2002 गलत दर्शित करते हुये विधिक वारीसान में अपीलान्ट का नाम छोड कर नामान्तकरण का निर्णय दिनांक 06.05.2013 को कर दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को क्रेडिट कार्ड की फाईल हेतु पटवारी हल्का से मिलने पर दिनांक 05.12.2019 को प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जेर दफा –5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अंदर मियाद अवधि में ग्रहण की जाती है। मूल नामान्तकरण संख्या 93 दिनांक 06.05.2013 वाके मौजा कल्याणपुरा तन रामपुर तह0 बानसूर तलब किया गया।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया। विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पो0 सं0 02 एवं 03 की पैतृक बुजुर्गानी की आराजी है। अपीलान्ट एवं रेस्पो0 सं0 02 एवं 03 मृतका छोटी देवी के सगे पुत्र/पुत्रीयाँ है। जिसकी मृत्यू उपरान्त उनकी विरासत का नामान्तकरण सभी विधिक वारीसान के नाम खोला जाकर स्वीकार किया जाना चाहिये था। पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा मृतका छोटी देवी पत्नी मामराज जाति जाट निवासी कल्याणपुरा के विधिक वारीसान की जाँच किये बिना ही उक्त नामान्तकरण को दर्ज कर निर्णय किया गया है। जिसकी पुष्टि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड , भूतपूर्व सैनिक का पहचान पत्र की प्रतियों व सम्वत् 2071–2074 खाता सं0 140 के ख0नं0 454 रकबा 0.10 है0, 465 रकबा 0.52 है0 की नकल जमाबंदी से बखूबी होती है। साथ ही रेस्पो0 सं0 02 व 03 ने राजीनामा भी पेश किया जो इस [illegible] किया गया है। उक्त विवेचानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने यो[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.06 15:11:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

–:आदेश:–

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 93 वाकै मौजा कल्याणपुरा ग्राम पंचायत रामपुर तह0 बानसूर के निर्णय दिनांक 06.05.2013 को अपास्त (खारिज) किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बानसूर को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि वे मृतका छोटी देवी पत्नी मामराज के विधिक वारीसान की जाँच कर उक्त नामान्करण संख्या 93 वाकै मौजा कल्याणपुरा का विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित कर प्रकरण का निस्तारण करें।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक 29/1/21 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.06 15:11:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner